प्राक्कथन

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कंपनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जो सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन है। सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी अथवा पूरक रिपोर्ट देते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उस विधि के विषय में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जिसमें कंपनी के लेखाओ की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. पांच निगमों नामत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को केंद्रीय भंडारण निगम के सम्बन्ध में संविधि के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एक सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है।

4. इस रिपोर्ट में समीक्षा किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लेखाओं में वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (प्राप्त हुई सीमा तक) के लेखाओको शामिल किया गया है। ऐसे सीपीएसई, जहां 31 दिसंबर 2020 से पूर्व किसी विशिष्ट वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे, के संबंध में, अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े लिए गए हैं।

5. **कुछ सीपीएईके संबंध में, पिछले वर्ष के आंकड़े लेखापरीक्षित/ संशोधित आंकड़ों द्वारा अनन्तिम आंकडों के प्रतिस्थापन के कारण 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या-7 में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते।**

6. **इस रिपोर्ट में 'सरकारी कंपनियों/निगमों या सीपीएसई' के सभी संदर्भों को केंद्रीय सरकारी कंपनियों/निगमों के संदर्भ में माना जाए जब तक कि संदर्भ में कोई अन्य सुझाव न दिया जाए।**